भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2237**

दिनांक 12 मई, 2016 को उत्‍तर के लिए

**देश में पंजीकृत अनाथालय**

**2237. श्री भूपिंदर सिंहः**

क्या **महिला एवं बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में पंजीकृत अनाथालयों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन अनाथालयों से गोद लिए गए बच्चों की संख्या कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा देश में और अनाथालय बनाने तथा मौजूदा अनाथालयों की जीवन दशाओं और कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

**श्रीमती मेनका संजय गांधी महिला एवं बाल विकास मंत्री**

(क) : देश में पंजीकृत बाल गृहों तथा विशिष्‍ट दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों (एसएए) जिन्‍हें मंत्रालय द्वारा संचालित केंद्र प्रायोजित समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) के तहत वित्‍त पोषित किया जा रहा है, का ब्‍यौरा **अनुलग्‍नक** में दिया गया है।

(ख): केन्‍द्रीय दत्‍तक ग्रहण संसाधान प्राधिकरण (कारा) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पिछले पांच वर्षों में विशिष्‍ट दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों से गोद लिए गए बच्‍चों का ब्‍यौरा निम्‍नानुसार है:

|  |  |
| --- | --- |
| वर्ष | देश में दत्‍तक ग्रहण |
| 2011-12 (जनवरी 2011 से मार्च 2012) | 6593 |
| 2012-13 | 5002 |
| 2013-14 | 4354 |
| 2014-15 | 4362 |
| 2015-16 | 3677 |

(स्रोत: कारा)

(ग): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश में अनाथ बच्‍चों सहित कठिन परिस्‍थितियों में रहने वाले बच्‍चों के पुनर्वास तथा पुन: एकीकरण के लिए समेकित बाल संरक्षण स्‍कीम (आईसीपीएस) नामक एक केंद्र प्रायोजित स्‍कीम चला रहा है। आईसीपीएस के तहत संस्‍थानिक देखरेख तथा गैर-संस्‍थानिक देखरेख सेवाओं दोनों के लिए राज्‍य सरकारों/ संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को वित्‍तीय सहायता दी जाती है। तदनुसार शहरी एवं अर्द्धशहरी क्षेत्रों में विभिन्‍न प्रकार के गृहों, दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों तथा खुला आश्रयों की स्‍थापना एवं अनुरक्षण के लिए अनुदान दिए जाते हैं, जिनमें बच्‍चों को अपेक्षित आश्रय, भोजन, शिक्षा, व्‍यवसायिक प्रशिक्षण, परामर्श आदि जैसी सेवायें प्रदान की जाती हैं ताकि उनका कल्‍याण एवं विकास सुनिश्‍चित हो।

इसके अलावा आईसीपीएस के तहत 1 अप्रैल, 2014 से वित्‍तीय मानदंडों को संशोधित किया गया। संशोधित स्‍कीम की कुछ प्रमुख विशेषतायें कुछ इस प्रकार हैं: गृहों में बच्‍चों के लिए अनुरक्षण अनुदान को विद्यमान 750 रूपये से बढ़ाकर 2000 रूपये प्रति माह प्रति बच्‍चा किया गया है; निर्माण की लागत विद्यमान 600 रूपये प्रति वर्ग फीट से बढ़ाकर 1000 रूपये प्रति वर्ग फीट की गई है तथा राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र के आकार एवं आवश्‍यकता के आधार पर सेवा प्रदायगी की संरचनाओं में स्‍टाफ की तैनाती में लोच प्रदान की गई है।

\*\*\*\*\*

अनुलग्‍नक

**''देश में पंजीकृत अनाथालय'' विषय में श्री भूपिंदर सिंह द्वारा दिनांक 12 मई, 2016 को पूछे जाने वाले राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 2237 के उत्‍तर के भाग (ग) में संदर्भित विवरण**

**देश, राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों में आईसीपीएस के अंतर्गत वित्‍तपोषित, वर्तमान में कार्यरत पंजीकृत बाल गृहों, विशेष दत्‍तक ग्रहण एजेंसियों की संख्‍या का ब्‍यौरा**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **क्र.सं.** | **राज्‍य** | **बाल गृह (सरकारी और गैर-सरकारी)** | **विशेष दत्‍तक ग्रहण एजेंसियां (एसएए)** |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 55 | 14 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 1 |
| 3 | असम | 24 | 8 |
| 4 | बिहार | 21 | 10 |
| 5 | छत्‍तीसगढ़ | 35 | 9 |
| 6 | गोआ | 2 | 2 |
| 7 | गुजरात | 48 | 9 |
| 8 | हरियाणा | 21 | 7 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 25 | 1 |
| 10 | जम्‍मू और कश्‍मीर | - | - |
| 11 | झारखंड | 4 | 4 |
| 12 | कर्नाटक | 65 | 23 |
| 13 | केरल | 12 | 14 |
| 14 | मध्‍य प्रदेश | 32 | 20 |
| 15 | महाराष्‍ट्र | 69 | 14 |
| 16 | मणिपुर | 23 | 7 |
| 17 | मेघालय | 18 | 1 |
| 18 | मिजोरम | 35 | 4 |
| 19 | नागालैंड | 16 | 4 |
| 20 | ओडिशा | 90 | 14 |
| 21 | पंजाब | 11 | 5 |
| 22 | राजस्‍थान | 72 | 36 |
| 23 | सिक्‍किम | 10 | 2 |
| 24 | तमिलनाडु | 221 | 15 |
| 25 | त्रिपुरा | 12 | 9 |
| 26 | उत्‍तर प्रदेश | 43 | 10 |
| 27 | उत्‍तराखंड | 6 | 2 |
| 28 | पश्‍चिम बंगाल | 36 | 24 |
| 29 | तेलंगाना | 44 | 11 |
| 30 | अंडमान व निकोबार | 6 | - |
| 31 | चंडीगढ़ | 8 | - |
| 32 | दादर और नगर हवेली | - | - |
| 33 | दमन व दीव | - | - |
| 34 | लक्षद्वीप | - | - |
| 35 | राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली | 22 | 4 |
| 36 | पुद्दुचेरी | 22 | 2 |
|  | **कुल** | **1109** | **286** |